न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

RMP वाद सं0–38 / 2011–12
75 / 2002

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी
बनाम
कृष्ण कुमार चौधरी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह वाद विज्ञ उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय से हस्तांतरित होकर सुनावाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त है। मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–31 के दाग सं0–160, 160/834, 162, 159 अन्तर्गत रकवा 05–05–04 धुर भूमि का विपक्षी कृष्ण कुमार चौधरी के नाम अंचल सिरिस्ता पाकुड़ के पंजी–।। में कामय जमाबंदी को रद्द करने एवं लगान रसीद निर्गत करने पर रोक संबंधी एक मामला विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0–89/1998–99 चला। उक्त वाद में दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया। सुनवाई के क्रम में विपक्षी कृष्ण कुमार चौधरी की मृत्यु हो जाने के कारण उदय शंकर चौधरी, पिता–स्व0 गंगाधर चौधरी सा0–तांतीपाड़ा, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाया गया। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। उनके द्वारा निम्नांकित कागजात भी दाखिल किया गया है :– (1) अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रे0मि0 वाद सं0–227/1912–13 ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय, पाकुड़ द्वारा U/S 25A of Reg-III/1886 में दिनांक–28.07.2013 को पारित आदेश की छायाप्रति। (2) सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय बंदोवस्ती आपत्ति वाद सं0–40/1928 कुमार ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय (Plaintif) बनाम Janaki Manjhi Prodhan nad Others of Village Khprajola में पारित आदेश की छायाप्रति। (3) अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ रे0मि0 वाद सं0–28/1995–96 में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ का आदेश दिनांक–16.06.2015 की छायाप्रति। (4) TR No.-1/67 BC Pandey Vrs. Seth Hirdumal and Others में दाखिल अमलनामा की छायाप्रति।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	(5) अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ राजस्व विविध वाद सं0–28/1995–96 में पारित आदेश दिनांक–21.12.1994 से 16.05.2015 की छायाप्रति। (6) रे0मि0 वाद सं0–28/1995–96 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक तथा अंचल अधिकारी का जॉच प्रतिवेदन। (7) लगान रसीद 1979–80, 1982–83, 1987–88, 1991–92 की छायाप्रति। (8) Privy Council के आदेश की छायाप्रति। (9) District Judge, Bhagalpur के Title suit No. 036/1927 में पारित आदेश की छायाप्रति। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में बिलकुल गलत है एवं पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत दाग की भूमि भूतपूर्व जमींदार जी0सी0पाण्डेय के द्वारा वर्ष 1912–13 में Rent Reguation Act 1886 की धारा 25 के तहत् विधिवत् अर्जित की गई थी। वर्ष 1928 में खतियान का प्रकाशन हुआ, परन्तु कर्मी के चूक के कारण उक्त भूमि जी0सी0पाण्डेय के नाम दर्ज नही कर अनावादी खाता में अंकित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आपत्ति दी गई एवं आपत्ति के आलोक में खतियान के अभ्युक्ति में "दखल खास मालिक रे0मि0 केस नं0–481/12–13" अंकित किया गया। बाद में वर्ष 1944 में जी0सी0पाण्डेय के द्वारा प्रश्नगत भूमि कृष्ण कुमार चौधरी (इस वाद के मूल विपक्षी) को बंदोवस्ती परवाना निर्गत कर बंदोवस्ती में दे दी गई। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के ट्रस्ट वाद सं0–53/1955–56 में दाखिल स्टेटमेंट 13 एवं 14 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के जी0सी0पाण्डेय द्वारा कृष्ण कुमार चौधरी को बंदोबस्ती में दी गई थी। वर्ष 1912–13 में प्रश्नगत भूमि के विधिवत अर्जन के बाद से ही उसपर जी0सी0पाण्डेय (भूतपूर्व जमींदार) का दखल–कब्जा रहा एवं इसपर कोई आपत्ति नही रही। इस तरह प्रश्नगत भूमि पर उनका Occupancy Right उत्पन्न हो गया। उनका आगे कहना है कि BLR Act 1950 की धारा 4(h) के अनुसार दिनांक–01.01.1946 के पूर्व जमींदार द्वारा दी गई बंदोवस्ती को रद्द नही किया जा सकता है। चूँकि भूमि का अर्जन किया गया था अतः भूमि जमींदार की व्यक्ति भूमि हो गई, जिसकी बंदोवस्ती वर्ष 1944 में पी0सी0पाण्डेय के पक्ष में की गई। बंदोवस्ती प्राप्त होने के बाद से ही उसपर कृष्ण कुमार चौधरी एवं बाद में उनके वंशजों का दखल कब्जा रहा है तथा पंजी–।। में विधिवत् जमाबंदी कायम की गई। उनका आगे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई न्यायालय निर्णयों से यह स्पष्ट है कि लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को राजस्व न्यायालय रद्द नही कर सकते है।

Scanned with CamScanner

1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
	उनका आगे कहना है कि भूतपूर्व जमींदार जी0सी0पाण्डेय द्वारा स्व0 भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय को भी मौजा–खपड़ाजोला के जमाबंदी सं0–31 अन्तर्गत दाग सं0–162, 163, 165, 319, 311, 320 एवं 167 अन्तर्गत कुल रकबा 10–13–10 धुर जमीन की बंदोवस्ती की गई थी। उक्त दागों का भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने संबंधी एक सदृश्य मामला RMP वाद सं0–43/2011–12 इस न्यायालय में चला था, जिसमें भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत मामला उक्त RMP वाद सं0–43/2011–12 के बिलकुल सदृश्य है। उनका आगे कहना है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में रे0मि0वाद सं0–28/1995–96 जिसमें दाग सं0–162 के अतिरिक्त अन्य दागों का कायम जमाबंदी को रद्द करने संबंधी मामला चला था। उक्त वाद में दिनांक–16.06.1995 को पारित आदेश द्वारा दाग सं0–162 की जमाबंदी को रद्द करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है तथा इसमें रैयती हक माना गया है। उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग की भूमि भूतपूर्व जमींदार जी0सी0 पाण्डेय द्वारा वर्ष 1912–13 में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के रे0मिस0 वाद सं0–227/1912–13 में पारित आदेश द्वारा विधिवत बसौड़ी टेनेंसी के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान कर अर्जित की गई थी। वर्ष 1928 में खतियान में उक्त भूमि अनावादी खाते में गलती से दर्ज हो गई, जिसके विरूद्ध आपत्ति देने पर तत्कालीन बंदोवस्ती पदाधिकारी द्वारा बंदोवस्ती आपत्ति वाद सं0–40/1928 में पारित आदेश द्वारा खतियान में अभ्युक्ति कॉलम में "दखल खास मालिक डी0सी0रे0मिस0 केस सं0–481/1912–13 अंकित किया गया। उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वर्ष 1944 में कृष्ण कुमार चौधरी को बंदोवस्त की गई। बंदोवस्ती के बाद प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम की गई। Trust case no-53/1955-56 में दाखिल Statement 13 & 14 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की बंदोवस्ती जी0सी0पाण्डेय द्वारा कृष्ण कुमार चौधरी को दी गई थी। जमींदार उन्मूलन से पूर्व जमींदार को गैर मजरूआ भूमि की बंदोवस्ती करने का पूर्ण अधिकार था। बंदोवस्ती वर्ष 1944 में की गई है। BLR Act 1950 की धारा 4(h) का उद्धारण निम्नवत् है :– "The Collector shall have power to make inquiries in respect to any transfer including the settlement or lease of any land comprised in such state or tenure or the transfer of any kind of interest in any building used primarily as office or	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	cutchry for the collection of rent of such estate or tenure or part thereof, and if he is satisfied that such transfer was made at any time after the first day of January 1946 with the object of defeating any provisions of this act or causing loss to the state or obtaining higher compensation there under, the collector may, after giving reasonable notice to the parties concerned to appear and be heard annul such transfer, disposses the person claiming it and take possession of such property on such terms as may appear to the collector to be fair and equitable" उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि दिनांक–01.01.1946 के पूर्व के बंदोवस्ती पर यह प्रावधान लागू नही होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव देना उचित प्रतीत नही होता है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कागजात, विभिन्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन, विपक्षी के लिखित अभिकथन से यह स्पष्ट होता है कि रे0मि0 वाद सं0–227/1912–13 Petition U/S 25A of Reg.-II of 1886 में दिनांक–28.07.2013 को ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय (आवेदक) निम्नांकित आदेश पारित किया गया :– 16 July 28/13 The Patnidar applies to take exclusive possession. He can take a copy of the D.S's orders dated 11th ult, and of my order of 30th ibid. with these as his title-deeds, he is fully authorized to take the exclusive possession sought. अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के रे0मि0 वाद सं0–28/1995–96 के अनुसार दाग सं0–162, 163, 165, 311, 319 एवं 320 की भूमि का स्वरूप रैयती है एवं इसके जमाबंदी को खारिज करने का कोई आधार नही है। जिला न्यायालय, भागलपुर के टी0एस0 सं0–36/1927 में दिनांक–16.09.1927 में पारित आदेशानुसार मौजा–खपड़ाजोला की जमीन के संबंध में Plaintiff ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के पक्ष में आदेश दिया गया है। Privy Council Appeal No.-19 of 1929, The Secretary of state for India in council appellant to England Vrs. Gyanendra Chandra Pandey के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड़ जिला–संथाल परगना के न्यायालय के बंदोवस्ती आपत्ति वाद सं0–40/1928 कुमार ज्ञानेन्द्र चन्द्र पाण्डेय बनाम जनाकी मांझी, प्रधान एवं अन्य में दिनांक–17.09.1928 को पारित आदेशानुसार The dispued plots were acquired by the Zamindar the Plaintiff in Deputy Commissioner's Rev. Misc. case No.-481 of 1912-13. The Plaintiff says that a note may be make in the remarks column showing that patit lands are Zamindar's acquired. I do not think that there is any harm in that. सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा विवादित दागों की भूमि जमींदार द्वारा

Scanned with CamScanner

क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अर्जित की गई भूमि खतियान के अभियुक्ति कॉलम में लिखने की सहमति दी गई। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, पाकुड के उक्त आदेश के अनुसार विषयगत दागों की भूमि खतियान में ''पुरातन पतित दखल खास मलिक डी0सी0 रे0मि0 केस नं0–481/2012–13'' लिखा गया है। सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–2884, दिनांक–10.07.2018 के द्वारा दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्री परिषद् की बैठक में मद सं0–18 में अन्यान्य के रूप में लिये गये निर्णय का संसूचन प्राप्त है, जिसके अनुसार अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करने तथा वैसे सभी अन्य मामले जिसमें किसी प्रकार के कार्रवाई के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का निदेश दिया गया है। उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रद्द करने एवं लगान स्थगित रखने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नही है। अतः प्रश्नगत दाग सं0–160, 160/834, 162, 159 अन्तर्गत रकवा 05–05–04 धुर भूमि का जमाबंदी एवं स्थगित लगान पूर्ववत बहाल रखा जाता है। यह निर्णय प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व का निर्धारण नही करती है। इस आदेश से प्रश्नगत भूमि पर न तो किसी का स्वत्व उत्पन्न होना समझा जायेगा और न ही विलोपित होना समझा जायेगा। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश की प्रति अनुपालन हेतु भेजें, अंचल अधिकारी आदेश का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। लेखापित एवं संशोधित। Swansi 24.1.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। Swansi 24.1.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।	Seen 9.8/2/2023

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.03.03 12:20:21 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:38f7:8547:3557:ab48

Scanned with CamScanner